कार्यालय तहसीलदार स्याना
पत्रांक /ना0ना0 दिनांक 16,3-016

इश्तहार नीलाम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील परिसर में साईकल स्टैन्ड का ठेका नीलाम दिनांक... 28-3-016 ...को अधोहस्तक्षरी कार्यालय में नीलामी बोली द्वारा छोड़ा जायेगा।

उक्त ठेका वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लियें वैद्य होगा, जो व्यक्ति ठेका लेने के इच्छुक हों, वो नियत तिथि पर नीलामी के समय खुली बोली में भाग लेने हेतु तहसील परिसर कार्यालय में उपस्थित हो। इस ठेके की शर्ते निम्नवत होंगी।

1 उक्त ठेका नीलामी केवल साईकिल,मोटर साईकिल,कार स्टैन्ड के लिये है।
2 बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को 10000–00 रूपये धरोधर के रूप में जमा करने होंगे।
3 जिय व्यक्ति पर ठेके की कोई धनराशि बकाया है तो उन्हें बोली बोलने का अधिकार नही होगा।
4 नीलामी के स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय स्याना में निहित होगा।
5 नीलामी की बोली प्रर्याप्त न होने पर पुनः नीलामी हेतु तिथि नियत की जायेगी।
6 नीलाम अधिकतम बोलीं बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में छोड़ा जायेगा।
7 अधिकतम बोलीदाता को बोली बोलने के उपरान्त तत्काल 1/2 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करने होगी। धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8 साईकल पर मात्र 5 रू मोटर साईकल पर 10 रू0 तथा कार व अन्य चौपाहिया वाहनों से 20 रू0 वसूल करने होंगे, इससे अधिक वसूली नही की जायेगी।
9 बोलीदाता किसी भी वाद में मुल्जिम नही होना चाहिये।
10 ठेका नीलाम, वाद विवाद की स्थिति में न्यायालय बुलन्दशहर होगा।
11 ठेका रजिस्टर्ड कराना होगा। 5 दिन के अन्दर यदि ठेका रजिस्टर्ड नही कराया जाता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। तथा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
12 ठेका दिनांक 31.03.2017 तक के लियें होगा।
13 साईकल, मोटर–साईकल, कार इत्यादि वाहनों के रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी ठेका नीलामी खरीददार/ठेकेदार की होगी। किसी भी वाहन की चोरी हो जाने या नुकसान होने पर तहसील का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार नही होगा।

नीलाम अधिकारी/
नायब तहसीलदार
स्याना

262 (16) / नाद दिनांक

प्रतिलिपिः–
1 उपजिलाधिकारी महोदय स्याना की सेवा में सूचनार्थ।
2 अधिशासी अधिकारी न0पा0/न0पं0 स्याना, बी0बी0 नगर, बुगरासी,खानपुर,को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3 समस्त तहसीलदार जनपद बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4 खण्ड विकास अधिकारी, स्याना, ऊंचागाव, बी0बी0नगर, जहागीराबाद।
5 जिला सूचना अधिकारी महोदय बुलन्दशहर को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

16/3/16

नीलाम अधिकारी/
नायब तहसीलदार
स्याना